



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16062022-236581
CG-DL-W-16062022-236581

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 5—जून 11, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 15—ज्येष्ठ 21, 1944
No. 23] NEW DELHI, JUNE 5—JUNE 11, 2022, SATURDAY/ JYAIKTHA 15—JYAIKTHA 21, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

का.आ. 526.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अतुल कुमार गोयल को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और पीएनबी मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में दिनांक 31.12.2024 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नामित करने से है।

[ई. फा. सं. 13/24/2016-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 26th April, 2022

S.O. 526.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank in so far as it relates to the nomination of Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank to the Boards of PNB Housing Finance Limited and PNB MetLife India Insurance Company Limited as a Director, for a period up to 31.12.2024, or until further orders, whichever is earlier.

[E. F. No. 13/24/2016-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 527.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खंड (i) के उपबंध पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अतुल कुमार गोयल को नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि के लिए अथवा आगे आदेशों तक, जो भी पहले हो, नामित करने से है।

[ई. फा. सं. 13/24/2016-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 527.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Punjab National Bank in so far as it relates to the nomination of Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank to the Board of Directors of National Credit Guarantee Trustee Company Limited, for a period up to 31.12.2024 or until further orders, whichever is earlier.

[E. F. No. 13/24/2016-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.